भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या †*237

उत्तर देने की तारीख : 22.12.2022

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र का उत्पादन और निर्यात में योगदान

†*237 श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का देश के कुल विनिर्माण उत्पादन में चालीस प्रतिशत योगदान है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार एमएसएमई के विकास के लिए उन्हें अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, आवश्यक निवेश और तकनीक प्रदान करने के लिए कोई कदम उठा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एमएसएमई का भारत के निर्यात में चालीस प्रतिशत योगदान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार निर्यात में उक्त योगदान को और बढ़ाने के लिए कोई विशेष प्रयास कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री नारायण राणे)

(क) से (च) : वक्तव्य का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

<u>लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या †*237, जिसका उत्तर दिनांक 22.12.2022 को दिया जाना है, के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण</u>

(क) : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से प्राप्त अद्यतन सूचना के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान अखिल भारतीय विनिर्माण उत्पादन में एमएसएमई के विनिर्माण उत्पादन का योगदान लगभग 36 प्रतिशत था।

(ख) और (ग) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने प्रौद्योगिकी केंद्रों (टीसी) की स्थापना की है जो सामान्य अभियांत्रिकी, फॉर्जिंग और फाउन्ड्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सुगंध और सुरस, कांच, फुटवियर तथा खेलकूद के सामान जैसे क्षेत्रों में उपकरणों, प्रीसीजन घटकों, मोल्ड्स, डाइज आदि के डिजाइन और विनिर्माण के जरिए उद्योगों को प्रौद्योगिकीय सहायता प्रदान करते हैं। मंत्रालय विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों का भी कार्यान्वयन करता है जिसका उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र में अद्यतन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए निवेश उपलब्ध कराना है। इन स्कीमों/कार्यक्रमों में अन्य के साथ-साथ वित्तीय सहायता भी शामिल है। इनमें से कुछ स्कीमें एमएसएमई चैंपियंस स्कीम सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) तथा सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) हैं।

(घ) : वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2021-22 के दौरान अखिल भारतीय निर्यात में एमएसएमई से संबंधित विनिर्दिष्ट उत्पादों के निर्यात का योगदान 45.03 प्रतिशत था।

(ङ) और (च) : भारतीय निर्यात में एमएसएमई के योगदान को बढ़ाने तथा उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम, व्यापार करने की सुगमता को प्रोत्साहन, मुद्रा के जरिए क्रेडिट की उपलब्धता संबंधी प्रक्रिया को और बेहतर बनाना, स्टैंड-अप इंडिया जैसी कई पहलें की हैं। इसके अतिरिक्त एमएसएमई मंत्रालय ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को अपेक्षित मार्गदर्शन तथा सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से देश भर में 52 निर्यात सुविधा केंद्र (ईएफसी) की स्थापना की है। इसके अलावा एमएसएमई को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने तथा वैश्विक बाजारों में उनके विकास को गति प्रदान करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय विभिन्न स्कीमों नामत: अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम, एमएसएमई चैंपियंस स्कीम तथा सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) के जरिए सहायता प्रदान कर रहा है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) द्वारा सभी क्षेत्रों में एमएसएमई की सभी व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए एक ही स्थान पर डिजिटल समाधान के लिए एक व्यापक बी2बी पोर्टल- 'MSMEmart.com' का संचालन किया जा रहा है तथा एमएसएमई को अगली पीढ़ी की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं ताकि उन्हें वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), बी2सी पहुंच के लिए एक ई-वाणिज्य पोर्टल 'ekhadiindia.com' का भी कार्यान्वयन कर रहा है जिसने व्यवसायों को वैश्विक पहुंच के स्तर तक लाने में सक्षम बनाया है। इसके अतिरिक्त, कॅयर बोर्ड, कॅयर उद्यमियों को वैश्विक बाजार में प्रवेश करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने तथा उन्हें प्रत्येक वर्ष कॅयर उद्योग पुरस्कार प्रदान करने के लिए उनका उत्साहवर्धन करने के लिए निर्यात संबंधी मामलों पर कार्यशालाओं/प्रबंधन विकास कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

एमएसएमई मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधुनिकीकरण, संयुक्त उपक्रम आदि के उद्देश्य से विदेशों में आयोजित की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों/क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों में एमएसएमई के दौरे/उनकी सहभागिता को सुविधाजनक बनाने तथा भारत में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/सेमिनार/कार्यशालाओं का आयोजन करने के लिए केंद्र/राज्य सरकार के पात्र संगठनों तथा उद्योग संघों को प्रतिपूर्ति आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, जून, 2022 में शुरू की गई आईसी स्कीम के नए घटक नामत: पहली बार निर्यात करने वाले निर्यातकों के क्षमता निर्माण (सीबीएफटीई) के अंतर्गत ईपीसी में पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाण-पत्र (आरसीएमसी), निर्यात इंश्योरेंस प्रीमियम तथा टेस्टिंग एंड क्वालिटी पर किए गए व्यय के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) निर्यातकों को प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है। आईसी स्कीम के अंतर्गत ये इंटरवेंशन एमएसएमई क्षेत्र के निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहुंच को बढ़ाने में सहायता प्रदान करते हैं।

****